"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अप्रैल 2016—चैत्र 19, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री छत्तर सिंह डेहरे, भा.प्र.से. (2005), संयुक्त सचिव, धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2016

क्रमांक–बी–1–1/2016/एक/4.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. के. भट्टर (रा.प्र.से., पी. 98, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), उपायुक्त (राजस्व) संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर को अपने वर्तमान कार्य के साथ–साथ श्री जन्मेजय महोबे, राज्यपाल के संयुक्त सचिव के अवकाश अवधि दिनांक 16–05–2016 से 12–06–2016 तक के लिए संयुक्त सचिव, राजभवन का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2016

क्रमांक/एफ 1–09/2015/दो–गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के 2003 आवंटन वर्ष के श्री एस. एस. सोरी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) पुलिस मुख्यालय, रायपुर को आवंटन वर्ष से 13 वर्ष की सेवा दिनांक 01–01–2016 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.पु.से. वेतन नियम, 2007 के नियम 3(2) (ii) के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01–01–2016 से सेवा का चयन श्रेणी वेतनमान (पे बैंड 37400–67,000 + ग्रेड पे रु. 8,700/–) प्रदान किया जाता है.

2. भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11012/22/2015–IPS-I दिनांक 18–12–2015 द्वारा उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु 05 रिक्तियों का निर्धारण किया गया है.

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्रमांक/एफ 7–29/2014/गृह–दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री आशुतोष सिंह, भापुसे (2012) एसडीओपी, अंबिकापुर, सरगुजा को दिनांक 23–12–2015 से 13–01–2016 (कुल 22 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष सिंह आगामी आदेश तक एसडीओपी, अंबिकापुर, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्रमांक/एफ 7–02/2016/गृह–दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री अभिषेक पल्लवा, भापुसे, एस.डी.ओ. (पी.), पिथौरा, जिला महासमुन्द को दिनांक 10–03–2016 से 11–03–2016 (कुल 02 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 12 एवं 13–03–2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पल्लवा आगामी आदेश तक एस.डी.ओ. (पी.), पिथौरा, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पल्लवा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पल्लवा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अभिषेक पल्लवा, भापुसे, एस.डी.ओ. (पी.), पिथौरा, जिला महासमुंद, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में एस.डी.ओ. (पी.), पिथौरा का प्रभार श्री अनिल सोनी, रापुसे, एस.डी.ओ. (पी.), बागबाहरा को उनके वर्तमान कार्य के साथ–साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्रमांक/एफ 7-34/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जशपुर को दिनांक 26-12-2015 से 04-01-2016 (कुल 10 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24 एवं 25-12-2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जायसवाल आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जशपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जायसवाल को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2016

क्रमांक एफ 1-11/2015/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री रमेश चन्द्र दुग्गा, भा.व.से. (2007) वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर को आगामी आदेश पर्यन्त जिला वन अधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार, सामाजिक वानिकी, जगदलपुर वनमण्डल, जगदलपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री गुरूनाथन एन. भा.व.से. (2012), उप वनमण्डलाधिकारी (प्रशिक्षु) कोटा, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर के प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत आगामी आदेश पर्यन्त वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, बीजापुर के पद पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2016

क्रमांक 1682/2691/2015/38-2.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 688/नि.वि./एस. एंड ओ./2013/5497 दिनांक 10-12-2015, के अनुशंसा अनुसार, कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, पलौद, नया रायपुर को, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार, निम्नांकित संकायों और पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करती है :—

1. विधि
2. अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तुशास्त्र/डिजाइन
3. पत्रकारिता/जन संचार/मीडिया
4. पुनर्वास विज्ञान

5. शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण
6. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
7. फाइन आर्ट/परफार्मिंग आर्ट/विजुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट
8. होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा
9. व्यावसायिक शिक्षा

शर्तें :—

(क) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों का संचालन एवं प्रवेश, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के खण्ड (ड) एवं धारा 35 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों के लिये सुसंगत अध्यादेश जारी करने के पश्चात् ही, प्रारंभ किया जायेगा.

(ख) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व, आवश्यकतानुसार, यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), नई दिल्ली तथा अन्य केन्द्रीय विनियामक निकायों से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा.

No. 1682/2691/2015/38-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005), the State Government, hereby as per the recommendation of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission vide its letter No. 688/ Ni.Vi./S.&O./2013/5497 dated 10-12-2015, grants permission to Kalinga University, Kotni, Palod, Naya Raipur to Start the under-mentioned Faculties and the courses, as per the conditions given here in below :—

1. Law
2. Engineering/Technology/Architecture/Design
3. Journalism/Mass Communication/Media
4. Rehabilitation Science
5. Education/Teachers Training
6. Library and Information Science
7. Fine Art/Performing Art/Visual Art/Applied Art
8. Hotel Management/Hospitality/Tourism/Travel
9. Vocational Education.

Conditions :—

(A) Operations of and admission to the aforesaid faculties/courses shall commence only after relevant Ordinances for the aforesaid faculties/courses are issued in accordance with the provisions contained in clause (m) of sub-section (4) of Section 7 and Section 35 of the Act.

(B) It shall be mandatory to seek prior permission from UGC, New Delhi and other Central Regulatory Bodies, as per the requirement, before the commencement of the aforesaid faculties/courses.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गा देवांगन, अवर सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-6-108/सात-1/2016.—छ.ग. भू. राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक-20, सन् 1959) की धारा-67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (मसाहती) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता है. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक कि ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

नाम जिला	नाम तहसील	नाम रा.नि.मंडल	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र (ग्राम)	पटवारी हल्का नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	कोरबा	कोरबा	1- औराकछार	2
	—,,—	—,,—	2- पोंड़ीखोहा	
	—,,—	—,,—	3- विश्रामपुर	3
	—,,—	—,,—	4- माखुरपानी	
	—,,—	—,,—	5- सरईसिंगार	
	—,,—	—,,—	6- कदमझरिया	4
	—,,—	—,,—	7- पाटीबहार	
	—,,—	—,,—	8- कन्सरा	
	—,,—	—,,—	9-केराझारिया	
	—,,—	—,,—	10-जाताडांड	
	—,,—	—,,—	11-अरेतरा	5
	—,,—	—,,—	12- बड़गांव	
	—,,—	—,,—	13- अरसेना	6
	—,,—	—,,—	14- डोकरमना	
	—,,—	—,,—	15- पेण्ड्राडीह	
	—,,—	—,,—	16- कुटुरुआ	
	—,,—	—,,—	17- कुदरीचिंगार	
	—,,—	—,,—	18-मोहनपुर	7
	—,,—	—,,—	19- सरईपाली	
	—,,—	—,,—	20- भुलाझरिया	
	—,,—	—,,—	21- गहनिया	8
	—,,—	—,,—	22- परसाखोला	
	—,,—	—,,—	23- बेला	
	—,,—	—,,—	24- टापरा	
	—,,—	—,,—	25- ढेलवाडीह	13
	—,,—	—,,—	26- रापाखर्रा	
कोरबा	कोरबा	भैसमा	27- मातमार	22
	—,,—	—,,—	28-मुडुनारा	
	—,,—	—,,—	29- करुमौहा	23
	—,,—	—,,—	30- आछीमार	
	—,,—	—,,—	31- केरवा	24
	—,,—	—,,—	32- ढेंगुरडीह	
	—,,—	—,,—	33- डुमरडीह	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	कोरबा	भैसमा	34- पतरापाली	26
	—,,—	—,,—	35–टेवानार	
	—,,—	—,,—	36–गोंड़मा	
	—,,—	—,,—	37–छुईढोंड़ा	
	—,,—	—,,—	38–मौहार	27
	—,,—	—,,—	39–दरगा	
	—,,—	—,,—	40–धौराभांटा	
	—,,—	—,,—	41–तराईमारडीह	30
	—,,—	—,,—	42–गिरारी	32
	—,,—	—,,—	43–समरकना	33
	—,,—	—,,—	44–ठेंगरीमार	35
	—,,—	—,,—	45–मालीकछार	36
	—,,—	—,,—	46–सरसादेवा	
	पोंड़ीउपरोड़ा	पसान	47–खम्हरिया	3
	—,,—	—,,—	48–अड़सरा	4
	—,,—	—,,—	49–घोघरा	
	—,,—	—,,—	50–कुम्हारीदर्री	5
	—,,—	—,,—	51–गड़रा	11
	—,,—	—,,—	52–जजगी	12
	—,,—	—,,—	53–भुजुंगकछार	
	—,,—	—,,—	54–लालपुर	
	—,,—	—,,—	55–मिसिया	14
	—,,—	—,,—	56–पनगंवा	15
	—,,—	—,,—	57–सुखरीताल	
	—,,—	—,,—	58–बीजाड़ांड	16
	—,,—	—,,—	59–पुटीपखना	
	—,,—	—,,—	60–सेन्हा	
	—,,—	—,,—	61–बेलहीया	
	—,,—	—,,—	62–सारिसमार	17
	—,,—	—,,—	63–गुरुद्वारी	18
	—,,—	—,,—	64–मेरई	19
	—,,—	—,,—	65–मुड़मिसनी	
	—,,—	—,,—	66–तिलईडांड़	
	—,,—	—,,—	67–कारीमाटी	
	—,,—	—,,—	68–पत्थरफोड़	
	—,,—	—,,—	69–रानीमार	20
	—,,—	—,,—	70–घुमानीडांड़	22
	—,,—	—,,—	71–नवापारा	
	—,,—	—,,—	72–बेतलो	22
	—,,—	—,,—	73–कुकरीबहरा	23
	—,,—	—,,—	74–सेंदुरगार	
	—,,—	—,,—	75–धनरास	
	—,,—	—,,—	76–अमलीकुण्डा	
	—,,—	—,,—	77–सासिन	24
	—,,—	—,,—	78–बर्रा	
	—,,—	—,,—	79–अमहवा	25
	—,,—	—,,—	80–मनोहरा	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	पसान	81-कापा नवापारा	27
	—,,—	—,,—	82-परला	
	—,,—	—,,—	83-मड़ई	28
	—,,—	पोंड़ीउपरोड़ा	84-रावा	29
	—,,—	—,,—	85-बनवार	31
	—,,—	—,,—	86-झूलाझरिया	32
	—,,—	—,,—	87-नवापारा	40
	—,,—	—,,—	88-लालपुर	41
	—,,—	—,,—	89-भुलसीडीह	43
	—,,—	—,,—	90-ठुठीपिपर	44
	—,,—	—,,—	91-धजाक	
	—,,—	—,,—	92-पतुरियाडांड़	45
	—,,—	—,,—	93-गिद्धमुंड़ी	46
	—,,—	—,,—	94-काटाकछार	46
	—,,—	—,,—	95-खोटखोरी	
	—,,—	—,,—	96-ठिर्रीआमा	
	—,,—	—,,—	97-नवापारा	
	—,,—	—,,—	98-साखो	
	पाली	पाली	99-केरामुड़ा	9
	—,,—	—,,—	100-पहाड़गांव	
	—,,—	—,,—	101-सुरका	

No. F 6-108/Seven-1/2016.—In exercise of powers conferred by Sub section (1) of Section 67 of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, is pleased to declare initiation of the revenue survey operations in the area specified in the schedule (Masahati) as given below. This area shall be held to be under such survey from the date of notification until the issue of a notification declaring the operation to be closed :—

SCHEDULE

Name District (1)	Name Tehsil (2)	Name RI Circle (3)	Name of Village (4)	Patwari Halka No. (5)
Korba	Korba	Korba	1-Aurakachar	2
	—,,—	—,,—	2-Podikhoha	
	—,,—	—,,—	3-Visrampur	3
	—,,—	—,,—	4-Makhurpani	
	—,,—	—,,—	5-Saraisingar	
	—,,—	—,,—	6-Kadamzaria	4
	—,,—	—,,—	7-Patibahar	
	—,,—	—,,—	8-Kansara	
	—,,—	—,,—	9-Kerazaria	
	—,,—	—,,—	10-Jatadand	
	—,,—	—,,—	11-Aretara	5
	—,,—	—,,—	12-Badgaon	
	—,,—	—,,—	13-Arsena	6
	—,,—	—,,—	14-Dokermana	
	—,,—	—,,—	15-Pandradih	
	—,,—	—,,—	16-Kuturaa	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Korba	Korba	Korba	17-Kudrichingar	
	—„—	—„—	18-Mohanpur	7
	—„—	—„—	19-Saraipali	
	—„—	—„—	20-Bhulazaria	
	—„—	—„—	21-Gahniya	8
	—„—	—„—	22-Parsakhola	
	—„—	—„—	23-Bela	
	—„—	—„—	24-Tapra	
	—„—	—„—	25-Dhelwadih	13
	—„—	—„—	26-Rapakharra	
	Korba	Bhasma	27-Matmar	22
	—„—	—„—	28-Mudhunara	
	—„—	—„—	29-Kurumoaha	23
	—„—	—„—	30-Achimar	
	—„—	—„—	31-Kerva	24
	—„—	—„—	32-Dengurdih	
	—„—	—„—	33-Dumerdih	25
	—„—	—„—	34-Patrapali	26
	—„—	—„—	35-Tevanara	
	—„—	—„—	36-Godma	
	—„—	—„—	37-Chuidhonda	
	—„—	—„—	38-Mohar	27
	—„—	—„—	39-Darga	
	—„—	—„—	40-Dhorabhata	
	—„—	—„—	41-Taraimardih	30
	—„—	—„—	42-Girari	32
	—„—	—„—	43-Samarkana	33
	—„—	—„—	44-Thengrimar	35
	—„—	—„—	45-Malikachar	36
	—„—	—„—	46-Sarsadeva	
	Podhiuprora	Pasan	47-Khamaria	3
	—„—	—„—	48-Aadsara	4
	—„—	—„—	49-Ghonghra	
	—„—	—„—	50-Kumharidarri	5
	—„—	—„—	51-Gadra	11
	—„—	—„—	52-Jajgee	12
	—„—	—„—	53-Bhungakachar	
	—„—	—„—	54-Lalpur	
	—„—	—„—	55-Misya	14
	—„—	—„—	56-Panganva	15
	—„—	—„—	57-Sukhrital	
	—„—	—„—	58-Bijadand	16
	—„—	—„—	59-Putipakhana	16
	—„—	—„—	60-Senha	
	—„—	—„—	61-Belahiya	
	—„—	—„—	62-Sarismar	17
	—„—	—„—	63-Gurudawari	18
	—„—	—„—	64-Merai	19
	—„—	—„—	65-Murmisni	
	—„—	—„—	66-Talaidand	
	—„—	—„—	67-Karimati	
	—„—	—„—	68-Patharphode	
	—„—	—„—	69-Ranimar	20
	—„—	—„—	70-Ghumanidand	22
	—„—	—„—	71-Navapara	
	—„—	—„—	72-Betlo	
	—„—	—„—	73-Kukribahara	23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Korba	Podhiuprora	Pasan	74-Sandurgar	
	—,,—	—,,—	75-Dhanras	
	—,,—	—,,—	76-Amlikunda	
	—,,—	—,,—	77-Sasin	24
	—,,—	—,,—	78-Barra	
	—,,—	—,,—	79-Aamhawa	25
	—,,—	—,,—	80-Manohara	26
	—,,—	—,,—	81-Kapanawapara	27
	—,,—	—,,—	82-Parla	
	—,,—	—,,—	83-Marai	28
	Podhiuprora	Podhiuprora	84-Rawa	29
	—,,—	—,,—	85-Banwar	31
	—,,—	—,,—	86-Zoolazaria	32
	—,,—	—,,—	87-Navwapara	40
	—,,—	—,,—	88-Lalpur	
	—,,—	—,,—	89-Bhulsidih	43
	—,,—	—,,—	90-Thuthipepar	44
	—,,—	—,,—	91-Dhajjak	
	—,,—	—,,—	92-Paturiadand	45
	—,,—	—,,—	93-Gidhamuri	46
	—,,—	—,,—	94-Katakachar	46
	—,,—	—,,—	95-Khotkhori	
	—,,—	—,,—	96-Therriaama	
	—,,—	—,,—	97-Nawapara	
	—,,—	—,,—	98-Sakho	
	Pali	Pali	99-Keramura	9
	—,,—	—,,—	100-Pahargaon	
	—,,—	—,,—	101-Surka	

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ-6-108/सात-1/2016.—छ.ग. भू. राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा-67 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में प्रदर्शित क्षेत्र (जिनके मिशल सीट उपलब्ध नहीं है एवं चालू नक्शा जीर्ण-शीर्ण हो चुका है) में राजस्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य के प्रारम्भ होने की घोषणा करता है. यह क्षेत्र जारी अधिसूचना की तारीख से लेकर तब तक ऐसे सर्वेक्षण के अधीन समझा जायेगा जब तक कि ऐसी संक्रियाओं के बन्द किये जाने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी न कर दी जावे :—

नाम जिला (1)	नाम तहसील (2)	नाम रा.नि.मंडल (3)	राजस्व सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का क्षेत्र (ग्राम) (4)	पटवारी हल्का नम्बर (5)
कोरबा	कटघोरा	कटघोरा	1-कटघोरा	8
	करतला	बरपाली	2-रीवापार	8
	पाली	पाली	3-रतीजा	29
	कोरबा	कोरबा	4-कोरबा	9

No. F 6-108/Seven-1/2016.—In exercise of powers conferred by Sub section (1) of Section 67 of Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, is pleased to declare initiation of the revenue survey operations is the area specified in the schedule (villages having torn/distorted Cadastral Map Sheets or having no missel village cadastral map sheets) as given below. This area shall be held to be under such survey from the date of notification until the issue of a notification declaring the operation to be closed :—

SCHEDULE

Name District (1)	Name Tehsil (2)	Name RI Circle (3)	Name of Village (4)	Patwari Halka No. (5)
Korba	Katghora	Katghora	1-Katghora	8
	Kartala	Barpali	2-Rewapar	8
	Pali	Pali	3-Ratiza	29
	Korba	Korba	4-Korba	9

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश शर्मा, उप-सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2016

क्रमांक एफ 9-19/2012/तक.शि./42.—विभागीय समसंख्यक दिनांक 14-05-2012 द्वारा निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिये अंतिम शुल्क निर्धारण हेतु जारी आदेश के कंडिका 5 में अंकित है कि "यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एक्रीडिटेटेड है तो उस संस्था द्वारा उस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रुपये 1000/- प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकता है" के स्थान पर राज्य शासन द्वारा "यदि किसी संस्था का कोई पाठ्यक्रम एक्रीडिटेटेड है तो उस संस्था द्वारा उस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों से रुपये 1000/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की शुल्क अतिरिक्त लिया जा सकता है" प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 15 मार्च 2016

क्रमांक 89/19 अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-घोंच
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1119	0.09
	1112	0.02
	1111	0.02
	1110	0.03
	1170	0.01
	1109	0.07
	1163	0.13
	1108	0.03
	1169	0.02
	1172	0.01
	1164	0.01
	1168	0.02
योग	12	0.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोंच बेलर मार्ग पर सूखा नाला में पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 23 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 21/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-कोनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	110/2	0.06
	109	0.10
	104/8	0.19
	104/6	0.23
योग	4	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोनी एनीकट तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-ठकुरदेवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.31 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	345/1	0.16
	346/1	0.09
	346/3	0.10
	365	0.24
	347	0.28
	353	0.17
	355	0.16
	387/1	0.11
योग	8	1.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओखर एनीकट योजना तटबंध एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	420/4	0.11
	80/2	0.14
	422/1	0.36
	424	0.11
	470/2	0.15
	584/4	0.15
	1040/1	0.37
	1015	1.04
	1251	1.13
	1274/1	0.10
	1155/1	0.30
	920/4	0.40
	919/7	0.22
	919/8	0.68
	1336	0.15
	1132/2	0.40
	1107/1	0.30
	1152/1	0.05
	419	0.14
योग	19	6.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 4/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-करगीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
290/4	0.15
256/2	0.24
394/5	1.18
93/3	0.30
योग 4	1.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 9/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-धनौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.29 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1630	0.04
1631	0.05
1597/2	0.10
1510/2	0.00
1511/2	0.17
1597/1	0.10
234/3	0.35
1372/3	0.06
1374/1	0.06
751	0.28
152/4	0.07
219	0.38
1367/2	0.08
531/2	0.28
600/6	0.07
601/5	0.07
759	0.05
234/2	0.08
योग 18	2.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
201/1	0.20
201/2	0.04
202	0.02
40/1	0.07

	(1)	(2)
	791	0.20
	694/1	0.30
	799	0.15
योग	7	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-चिचगोहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.06 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	448/2	0.08
	440/2	0.03
	447	0.37
	463/1	0.06
	443/7	0.36
	463/2	0.09
	464	0.09
	426/1	0.07
	434	0.11
	428/6	0.10
	428/4	0.08
	426/3	0.14
	436/7	0.18
	426/4	0.18
	424/2	0.20
	422	0.09
	466	0.10
	421/2	0.04
	194/1	0.07
	190/2	0.11
	420/4	0.18
	188	0.18
	177	0.14
	194/2	0.07
	183	0.14
	165/2	0.11
	443/1	0.10
	151/2	0.09
	152/1	0.07
	165/1	0.25
	432/5	0.11
	432/4	0.07
योग		4.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-लोहारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.53 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
584/5	0.86
498/4, 508/3	0.14
588/5	0.80
493/7	0.05
587/3	0.25
647/4	0.21
642/1	0.12
645/1	0.10
योग	2.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मनौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
820, 822	0.10
866/2	0.20
872/1	0.15
योग	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-मरवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
261/2	0.16
261/3	0.16
261/4	0.16
259/2	0.07
323	0.07
317/1क	0.05
327/1	0.08
332/1	0.10
योग	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुम्हारी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.59 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	11/6	0.14
	16/1	0.39
	16/2	0.11
	1/9	0.26
	10, 11/2	0.26
	1/8	0.28
	11/4	0.15
योग		1.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरडोल एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2016

क्रमांक/375/वा./भू.अ./प्र.क्र./15/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तर्री, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	655	0.150
	656/1	0.040
	656/2	0.040
	657	0.200
	658	0.020
योग	5	0.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-गोबरा नवापारा बाढ़ नियंत्रण तटबंध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2016

क्रमांक/376/वा./भू.अ./प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बगदेही, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.419 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
296/1	0.020
296/2	0.020
293/3	0.030
298	0.040
448	0.028
299	0.031
300	0.032
420	0.032
431	0.024
432	0.020
464	0.020
466	0.024
486	0.041
487	0.040
491/1	0.012
491/2	0.012
297/2	0.014
297/1	0.014
418	0.045
421/2	0.020
424	0.004
373	0.012
416	0.020
417	0.016
465	0.020
419	0.024
425	0.028
430	0.061
429/2	0.004
429/3	0.004
414	0.006
463	0.040
433	0.032
434	0.028
435/1	0.016
435/2	0.016
438	0.090
441	0.012
442	0.043
445/4	0.010
444	0.016
443/1	0.010
443/2	0.010
451	0.016
447	0.016
449	0.008
450	0.016
458	0.049
462	0.036
459	0.012
461	0.040
481/1	0.012
481/2	0.012
492	0.020
488	0.033
490	0.032
489	0.026
494	0.024
495	0.035
योग 42	1.419

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-गोबरा नवापारा बाढ़ नियंत्रण तटबंध योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 11 दिसंबर 2015

क्रमांक/365/पलारी/नग्रानि/2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पलारी निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

पलारी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दतान, कोसमंदी, रसौटा, बिनौरी एवं छेरकाडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छेरकाडीह, बलौदी एवं चोरहाडीह ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चोरहाडीह, लकड़ियां, पहंदा, कुकदा एवं दतान ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम दतान एवं कोसमंदी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2015-16/500.—मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2015-16 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (एकड़)
1.	कारखाना द्वार राम्हेपुर	कवर्धा	140	13,907.95
		बोड़ला	75	12,151.60
		पण्डरिया	160	15,266.50
		सहसपुर लोहारा	24	291.69
		योग	**399**	**41,617.74**

संलग्न ग्रामों की सूची

ए. के. श्रीवास्तव,
गन्ना आयुक्त.

BHORAMDEO SAHAKARI SHAKKAR UTPADAK KARKHANA MYDT. KAWARDHA

Sr. No.	Block Code	Block Name	No Of Villages	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**							
1	11	KAWARDHA	140	13907.95	5983	2005	3117.44	5115	10790.51
2	12	BODLA	75	12151.60	5081	1669	2447.06	4493	9704.54
3	13	PANDARIYA	160	15266.50	6417	1153	1744.35	5921	13522.15
4	14	S.LOHARA	24	291.69	67	43	113.30	29	178.39
		Total :	**399**	**41617.74**	**17548**	**4870**	**7422.15**	**15558**	**34195.59**
		Grand Total :	**399**	**41617.74**	**17548**	**4870**	**7422.15**	**15558**	**34195.59**

Village wise Cane Details :

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 11		**KAWARDHA**						
1	11002	KHADAUDAKHURD	399.62	170	29	38.59	159	361.03
2	11003	KHAMHI	122.12	42	24	56.89	31	65.23
3	11004	KHAIRIPAR	148.73	49	17	29.42	47	119.31
4	11005	BODHAIKUNDA	314.72	138	46	49.68	134	265.04
5	11006	MADANPUR	153.20	67	42	59.94	50	93.26
6	11007	PARASWARA	58.22	33	16	28.35	22	29.87
7	11008	NAVGHATA	137.84	85	20	21.36	77	116.48
8	11009	GANGPUR	135.21	79	30	35.33	67	99.88
9	11010	BIJAI	171.73	89	45	59.99	66	111.74
10	11011	SONBARSA	36.19	16	8	20.14	9	16.05
11	11012	DHARAMPURA	148.36	73	24	36.31	55	112.05
12	11013	BIRKONA	187.04	98	25	35.76	80	151.28
13	11014	KHAPARI	81.85	19	4	6.22	18	75.63
14	11015	INDORI	127.25	57	35	64.67	27	62.58
15	11016	MANIKCHORI	43.29	27	13	17.47	15	25.82
16	11017	LALPUR	333.53	158	55	67.14	144	266.39
17	11018	LAKHANPUR	620.97	349	85	105.86	323	515.11
18	11019	SURAJPURA	186.55	96	40	52.98	79	133.57
19	11020	RAMHEPURKHURD	340.00	139	13	13.63	138	326.37
20	11021	SINGHANPURI	70.19	36	16	29.37	24	40.82
21	11024	KANABHAIRA	363.40	182	26	32.58	171	330.82
22	11026	DUBAHA	43.14	12	2	14.23	12	28.91
23	11027	CHARDONGARI	133.93	91	24	28.39	78	105.54
24	11028	MADMADA	2.50	1	0	0.00	1	2.50

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 11		**KAWARDHA**						
25	11031	MARKA	39.78	13	3	5.44	13	34.34
26	11032	PIPARIYA	33.06	16	9	11.69	9	21.37
27	11033	RENGAKHARKHURD	18.41	10	3	8.01	7	10.40
28	11034	SUKHATAL	886.97	351	120	165.76	317	721.21
29	11036	NAUDIH	376.59	104	54	97.95	93	278.64
30	11037	GHUKSA	141.76	63	39	61.92	39	79.84
31	11038	BARBASPUR	172.63	86	35	55.73	66	116.90
32	11039	DULLAPUR RANI	21.01	12	10	16.95	3	4.06
33	11040	PALIGUDA	164.33	60	24	40.73	46	123.60
34	11041	AMLIDEEH-KODAR	8.86	4	2	2.90	3	5.96
35	11043	GHOREVARA	55.19	28	5	6.02	26	49.17
36	11044	DHAURABANDHA	15.58	4	3	8.58	2	7.00
37	11045	BITKULI	47.81	13	10	24.43	7	23.38
38	11047	CHORBHATTI	5.11	2	0	0.00	2	5.11
39	11048	GHUGHARIKALA	37.50	17	10	12.56	12	24.94
40	11051	GADAHABHATA	134.44	64	2	4.21	64	130.23
41	11052	JORATAL	31.54	19	5	9.42	14	22.12
42	11054	THUHADEEH	25.68	16	13	17.30	7	8.38
43	11056	DULLAPUR RAVELI	107.71	45	8	15.73	41	91.98
44	11058	RAVELI	370.87	164	51	76.60	145	294.27
45	11060	TALPUR	2.50	1	1	2.50	0	0.00
46	11061	JAMUNIYA	167.11	73	51	91.37	44	75.74
47	11062	CHHATAJHA	10.07	4	2	2.75	3	7.32
48	11063	BARDULI	63.56	40	0	0.00	40	63.56
49	11064	GEGADA	14.05	6	1	1.00	6	13.05
50	11066	KOKO	81.75	40	2	2.33	39	79.42
51	11067	JHIRONI	124.28	49	25	39.07	33	85.21
52	11071	BHANPUR	9.00	3	3	3.00	3	6.00
53	11072	MAGARADA	13.04	5	4	11.98	1	1.06
54	11073	PANEKA	13.28	8	4	4.25	5	9.03
55	11074	SARANGPUR-KHURD	162.57	60	16	25.34	56	137.23
56	11075	LIMO	22.14	9	5	10.37	4	11.77
57	11076	BHIMPURI	14.45	12	10	11.06	3	3.39
58	11077	CHHANTA	150.10	57	36	47.91	44	102.19
59	11078	BARDI	213.30	95	3	5.89	95	207.41

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 11		**KAWARDHA**						
60	11079	MANPUR	23.92	12	0	0.00	12	23.92
61	11080	GORAKHPUR	25.94	15	9	16.65	9	9.29
62	11081	SEMO	71.37	31	0	0.00	31	71.37
63	11082	GHOTIYA	8.30	4	1	2.25	3	6.05
64	11083	BHELWABHAWAR	72.64	31	0	0.00	31	72.64
65	11084	KOSMANDA	67.90	24	18	45.72	11	22.18
66	11085	ANCHHI	120.17	52	12	17.36	51	102.81
67	11086	BANJHIMAUHA	54.85	25	7	12.50	20	42.35
68	11088	RAGHUNATHPUR	1.00	1	0	0.00	1	1.00
69	11089	JHIRNA	32.94	4	3	23.59	4	9.35
70	11090	BIPTARA	8.06	3	0	0.00	3	8.06
71	11091	MIRMITTI	2.50	2	2	2.50	0	0.00
72	11092	BAHARMUDA	2.64	2	0	0.00	2	2.64
73	11097	BAIJALPUR	117.24	51	1	1.00	51	116.24
74	11098	BAMHANI	3.20	1	0	0.00	1	3.20
75	11100	BATURAKACHHAR	315.06	132	34	43.82	127	271.24
76	11101	BIJAJHORI	88.98	34	14	30.64	26	58.34
77	11104	BITKULIKHURD	2.61	1	0	0.00	1	2.61
78	11105	CHACHEDI	75.10	26	13	20.05	19	55.05
79	11106	CHARBHATHA	72.07	26	4	10.16	24	61.91
80	11107	DABARABHATH	211.84	100	49	78.03	83	133.81
81	11108	DALPURWAKWD	148.35	45	22	31.99	43	116.36
82	11109	DARGAWA	99.84	32	15	31.48	30	68.36
83	11110	DASHARANGPUR	215.87	62	22	37.03	59	178.84
84	11111	DASHARANGPUR KALA	1.00	1	1	1.00	0	0.00
85	11112	DAUJARI	526.88	196	72	107.89	181	418.99
86	11113	DAUKABHANDHA	50.46	25	12	17.18	22	33.28
87	11115	DHAMAKI	47.02	28	9	8.93	20	38.09
88	11116	DHANORA	2.85	1	0	0.00	1	2.85
89	11118	GANGCHUWA	11.15	5	1	1.00	5	10.15
90	11119	GHIRGHOSA	60.96	34	11	15.52	30	45.44
91	11120	GOPALBHAWANA	77.47	39	7	8.14	34	69.33
92	11123	HIRAPUR	6.22	2	2	5.00	1	1.22
93	11124	JAITPURI	8.40	4	2	1.98	3	6.42
94	11125	JARTI	512.74	179	76	109.72	166	403.02

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 11		**KAWARDHA**						
95	11126	JHALKA	15.04	9	1	2.50	8	12.54
96	11127	JHALMALA	114.54	51	17	29.43	42	85.11
97	11128	JINDA	32.31	9	3	7.42	8	24.89
98	11129	JOGIPUR	65.16	10	5	12.05	10	53.11
99	11130	JUNWANI	28.45	6	2	20.95	4	7.50
100	11131	KESALI	36.02	22	8	10.87	16	25.15
101	11133	KHAIRJHITIKALA	27.78	11	1	1.00	11	26.78
102	11134	KHAIRJHITIKALAMAR	8.09	1	0	0.00	1	8.09
103	11135	KHAIRWAR	39.69	15	1	1.48	15	38.21
104	11140	KOTHAR	97.08	56	34	51.55	27	45.53
105	11144	KUTKIPARA	19.68	10	7	14.57	3	5.11
106	11145	KUWA	10.83	3	0	0.00	3	10.83
107	11146	LAGHAN	61.23	31	4	5.48	28	55.75
108	11147	LITIPUR	3.91	2	2	3.91	0	0.00
109	11152	MAJGAON	1.00	1	0	0.00	1	1.00
110	11153	MAKKE	60.57	28	2	2.35	28	58.22
111	11155	MATHANIKALA	5.84	3	0	0.00	3	5.84
112	11157	MOHGAON	159.87	75	37	51.05	54	108.82
113	11158	BHEDLI	56.19	36	21	24.77	21	31.42
114	11161	NAWAGAON FARID	8.59	4	1	1.44	3	7.15
115	11162	NAWAGAON KOLIHA	41.97	10	1	0.46	9	41.51
116	11164	NAWAGAON TIWARI	7.00	1	1	7.00	0	0.00
117	11166	NEWARIGUDA 1	270.59	113	24	45.09	105	225.50
118	11167	PANDARIYA KwdBlock	42.41	24	6	7.20	20	35.21
119	11168	PATHARRA	78.39	25	3	4.86	24	73.53
120	11170	SAMANAPUR	15.00	5	0	0.00	5	15.00
121	11172	SINGHANPURIGANGCHUW	3.00	1	0	0.00	1	3.00
122	11173	SINGHANPURIJARTI	79.92	26	18	26.47	25	53.45
123	11174	SINGHANPURI RAMHEPUR	239.91	90	19	32.55	87	207.36
124	11175	SINGHANPURI SEMO	51.60	25	0	0.00	25	51.60
125	11176	SOHAGPUR	2.50	1	0	0.00	1	2.50
126	11177	SONPURIGUDA	4.91	2	2	2.91	1	2.00
127	11178	SONPURI(RANI)	57.31	39	28	39.99	14	17.32
128	11179	THAKURAINTOLA	3.72	2	2	2.72	1	1.00
129	11185	DEHARI	133.90	58	4	3.45	57	130.45

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 11		**KAWARDHA**						
130	11186	KODWA	121.33	61	23	29.37	54	91.96
131	11188	BANDORA	23.42	11	9	14.97	3	8.45
132	11189	KAWARDHA	18.73	6	3	6.00	6	12.73
133	11191	NEWARI	77.90	28	18	35.16	13	42.74
134	11194	JEWDANKHURD	297.58	88	37	83.04	76	214.54
135	11195	BANO	90.53	30	6	12.02	30	78.51
136	11197	CHHIRHA	26.63	19	8	8.03	15	18.60
137	11201	KHAIRJHITIKHURD	22.40	14	13	15.70	3	6.70
138	11202	DULLAPUR PIPARIYA	56.09	19	4	10.02	17	46.07
139	11203	FANDATOD	18.17	10	2	1.43	10	16.74
140	11204	AMLIDEEH-MARKA	8.02	3	1	2.00	3	6.02
		Block Total :	**13907.95**	**5983**	**2005**	**3117.44**	**5115**	**10790.51**
Block : 12		**BODLA**						
1	12001	SARANGPUR-KALA	681.72	263	84	95.73	253	585.99
2	12002	LOHJHARI	327.83	121	35	49.59	115	278.24
3	12003	GANDAI-KHURD	339.92	129	18	22.65	127	317.27
4	12004	KARESHARA	342.09	118	44	70.45	111	271.64
5	12005	GANDAI-KALA	432.04	165	23	25.49	165	406.55
6	12006	KUSUMGHATA	827.74	326	105	182.32	260	645.42
7	12007	KHADAUDAKALA	359.73	171	45	56.70	161	303.03
8	12008	KHARHATTA	346.17	134	16	21.11	131	325.06
9	12009	BHARELI	410.31	170	28	31.81	161	378.50
10	12010	RAHANGI	178.75	76	32	71.29	60	107.46
11	12011	LENJAKHAR	347.97	172	28	32.53	163	315.44
12	12012	MANDLATOLA	188.59	84	19	23.39	80	165.20
13	12013	PONDI	195.08	98	10	12.14	94	182.94
14	12014	TAREGAONMAIDAN	193.82	89	29	37.42	85	156.40
15	12015	NEURGAONKALA	90.92	52	10	13.15	46	77.77
16	12016	NEURGAONKHURD	382.15	192	27	32.88	177	349.27
17	12017	TILAIBHANTA	86.54	36	28	47.90	22	38.64
18	12018	KHANDSARA	236.25	106	27	40.52	91	195.73
19	12019	MADMADA	242.22	116	61	96.39	75	145.83
20	12020	BAIHARSARI	897.07	405	144	160.69	375	736.38
21	12021	GHONGA	8.25	4	2	5.70	2	2.55
22	12022	BOIRKACHARA	207.02	59	20	35.17	57	171.85

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 12		**BODLA**						
23	12023	RAMHEPUR	266.31	120	97	136.50	83	129.81
24	12024	USLAPUR	384.25	130	36	46.25	124	338.00
25	12025	BUDHWARA	71.28	37	5	5.63	35	65.65
26	12026	HARINCHHAPARA	328.07	126	102	151.70	88	176.37
27	12027	SILHATI	397.54	183	58	70.37	163	327.17
28	12028	PARSAHA	120.24	38	29	53.16	33	67.08
29	12030	KHURSIPAR	128.14	55	30	42.21	49	85.93
30	12031	SUKUAPARA	29.31	14	4	4.46	11	24.85
31	12032	MARIYATOLA	491.28	165	54	90.37	144	400.91
32	12033	MANIKPUR	425.43	212	76	96.94	196	328.49
33	12034	PRABHATOLA	189.13	62	18	34.14	55	154.99
34	12035	KHANTIPARA	24.18	18	5	4.62	15	19.56
35	12036	BHALPAHARI	80.03	29	5	10.57	27	69.46
36	12037	ACHANAKPUR	60.66	17	11	29.67	11	30.99
37	12040	KHARIYA	7.59	2	2	4.00	2	3.59
38	12041	KHURMUNDA	65.76	18	3	10.89	17	54.87
39	12043	MINMINIYA	60.93	28	9	13.48	23	47.45
40	12044	SIRMI	30.82	15	1	2.22	14	28.60
41	12045	RIWAPAR	92.58	44	3	4.82	44	87.76
42	12047	RAGUPARA	45.86	29	23	32.52	8	13.34
43	12048	CHANDALPUR	91.75	42	33	53.48	22	38.27
44	12050	MUDIYAPARA	18.01	9	3	4.73	8	13.28
45	12051	BADDO	115.44	47	23	38.73	40	76.71
46	12052	KABRATOLA	251.43	115	44	77.03	90	174.40
47	12053	LALPURBODLA	22.44	8	5	7.55	8	14.89
48	12055	LAKHANPURKHURD	133.96	39	5	7.98	35	125.98
49	12056	CHANTA	64.36	32	5	7.35	31	57.01
50	12057	BAGHARRA	315.55	141	31	39.19	139	276.36
51	12059	BISANPURA	34.72	18	15	22.49	9	12.23
52	12061	BHALUCHUA	99.65	23	21	57.09	15	42.56
53	12062	BODLA	37.71	20	7	7.78	19	29.93
54	12063	BOLDA-KALA	13.61	8	1	1.00	8	12.61
55	12065	MAHLI	118.77	42	12	35.15	37	83.62
56	12066	JAITATOLA	10.21	5	2	2.50	4	7.71
57	12068	BAIJALPUR	16.19	7	6	8.37	5	7.82

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 12		**BODLA**						
58	12069	RAJANAVAGAON	6.53	3	2	2.25	2	4.28
59	12070	SINGHARI	11.62	5	4	5.80	4	5.82
60	12071	BORIYA	31.43	15	8	7.95	14	23.48
61	12072	MOTIMPUR	28.84	17	7	11.06	13	17.78
62	12073	KHAIRBANA	16.84	9	7	10.96	4	5.88
63	12074	BHONDA	2.00	1	1	2.00	0	0.00
64	12075	AMLITOLA	9.90	7	4	3.90	4	6.00
65	12085	RENGAKHARKHURD	0.56	1	0	0.00	1	0.56
66	12087	PONDITOLA	39.43	17	3	3.00	17	36.43
67	12088	KHADAUDAKHURD	3.00	1	1	1.00	1	2.00
68	12094	BARHATTI	4.81	4	4	3.81	1	1.00
69	12098	KAMADABRI	6.20	3	1	1.00	3	5.20
70	12101	MAHARAJPUR	0.94	1	1	0.94	0	0.00
71	12102	SEWAIKACHHAR	1.70	2	1	1.20	1	0.50
72	12103	SARAI	1.00	1	1	1.00	0	0.00
73	12104	KHIRSALI	6.65	4	1	2.45	3	4.20
74	12106	AMROUDI	11.00	4	2	5.00	2	6.00
75	12107	LATA	3.78	2	2	3.78	0	0.00
		Block Total :	**12151.60**	**5081**	**1669**	**2447.06**	**4493**	**9704.54**
Block : 13		**PANDARIYA**						
1	13001	PANDATARAI	569.49	206	40	68.94	189	500.55
2	13002	PANDARIYA	43.72	13	5	8.18	10	35.54
3	13003	VISESRA	127.96	55	5	6.74	53	121.22
4	13005	BODTRAKHURD	118.18	54	21	24.43	40	93.75
5	13006	RAPA	69.06	32	2	3.48	32	65.58
6	13007	PARASWARA	381.87	158	7	9.74	158	372.13
7	13008	RAUHA	138.84	61	9	11.89	54	126.95
8	13009	KHAIRWARKALA	204.12	95	34	49.67	76	154.45
9	13010	NAWAGAON KALA	155.49	16	5	31.27	15	124.22
10	13011	JANGALPUR	347.91	143	63	88.11	112	259.80
11	13012	ANDHIYARKHOR	354.58	129	27	35.04	111	319.54
12	13013	RAITAPARA	418.46	166	7	8.40	165	410.06
13	13014	MOHGAON	473.78	204	44	58.63	182	415.15
14	13015	PALANSARI	839.25	309	48	71.87	302	767.38
15	13016	RUSE	647.74	306	22	25.30	297	622.44

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 13		**PANDARIYA**						
16	13017	BHAGATPUR	148.92	61	6	8.57	60	140.35
17	13018	NAWAGAON GAJRI	51.31	27	6	7.22	25	44.09
18	13020	BHATTRUSE	99.54	33	11	19.88	31	79.66
19	13021	MAKRI	181.17	65	3	3.47	63	177.70
20	13022	KUNDA	222.84	89	0	0.00	89	222.84
21	13023	PENDRIKALA	177.07	58	8	9.97	57	167.10
22	13024	PRATAPPUR	173.25	55	25	51.08	41	122.17
23	13025	SARAIPATERA	124.30	54	4	5.65	54	118.65
24	13026	HATTANAWAGAON	46.39	29	19	21.49	15	24.90
25	13027	DASHARANGPUR	202.53	103	11	10.08	100	192.45
26	13028	CHARBHATAKALA	171.87	79	15	20.98	74	150.89
27	13029	PUTKIKALA	140.82	54	4	7.11	54	133.71
28	13030	MANJHOLI	204.18	102	16	21.87	94	182.31
29	13031	DHOBGHATTI	144.29	78	21	25.76	69	118.53
30	13032	BAGHAMUDA	7.59	6	2	1.59	4	6.00
31	13033	SAWATPUR	7.61	5	0	0.00	5	7.61
32	13035	KUBHAKHURD	55.54	25	1	1.00	24	54.54
33	13036	DONGARIYA-KALA	494.25	226	30	32.66	216	461.59
34	13037	NAWAPARA PANDATARAI	267.32	120	18	31.76	115	235.56
35	13038	MOHTARAKHURD	91.16	31	1	1.56	30	89.60
36	13039	ROHRA	68.56	27	6	10.60	24	57.96
37	13040	KESLIKHURD	21.48	10	0	0.00	10	21.48
38	13041	KANJHETI	104.19	32	12	16.39	30	87.80
39	13042	KUWAMALGI	102.49	63	1	2.00	63	100.49
40	13043	BANDHA	48.89	25	4	6.02	21	42.87
41	13044	PUSERA	50.00	25	0	0.00	25	50.00
42	13046	PATHARRI	71.26	35	9	11.03	34	60.23
43	13047	KUMHI	362.87	181	57	82.76	154	280.11
44	13048	DHANELI	116.45	58	28	40.68	47	75.77
45	13049	MAHKA	20.99	9	1	1.27	8	19.72
46	13050	LADUVA	86.71	43	8	14.47	41	72.24
47	13051	BASANI	100.66	37	7	10.35	31	90.31
48	13052	MOHTARAKALA	387.11	158	38	70.00	151	317.11
49	13053	KARIMATI	273.42	122	24	29.78	120	243.64
50	13054	MAHLI	58.60	27	4	4.52	26	54.08

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 13		**PANDARIYA**						
51	13055	POUNI	71.65	30	2	4.03	28	67.62
52	13056	BAGHARRA	18.44	6	1	1.45	6	16.99
53	13057	PIPARMATI	147.30	65	5	8.69	62	138.61
54	13059	LALPURPND	142.12	66	29	42.30	48	99.82
55	13060	BHAISBOD	17.53	7	0	0.00	7	17.53
56	13061	LOKHAN	39.14	16	2	4.00	14	35.14
57	13063	BHADRALI	2.43	1	0	0.00	1	2.43
58	13064	TORALANAVAPARA	76.98	45	4	5.04	42	71.94
59	13065	AKHARA	92.61	35	1	2.62	35	89.99
60	13066	GAURKAPA	6.50	4	4	6.50	0	0.00
61	13067	DULLAPUR	31.42	13	1	1.00	13	30.42
62	13070	KOYLORIKANPA	177.01	73	16	27.37	70	149.64
63	13071	KAPA RUSE	91.64	39	0	0.00	39	91.64
64	13072	AMALDIHA	10.70	5	1	1.70	5	9.00
65	13073	NANAPURI	76.51	39	9	15.22	35	61.29
66	13078	DEVPURA	99.57	31	3	5.73	28	93.84
67	13079	KANJHETA	255.04	118	10	10.71	114	244.33
68	13080	TENDUADIH	43.62	15	3	13.00	13	30.62
69	13081	SAIHAMALGI	91.62	43	12	14.31	39	77.31
70	13082	REHUTAKHURD	56.42	24	7	10.82	21	45.60
71	13083	CHARKHURAKALA	346.19	131	12	17.56	126	328.63
72	13087	KAPADAH	4.00	2	0	0.00	2	4.00
73	13088	SAGONADIH	16.83	6	0	0.00	6	16.83
74	13089	DOMSARA	37.14	18	4	4.62	15	32.52
75	13090	GUNJHETA	49.45	19	0	0.00	19	49.45
76	13091	KOLEGAON	311.14	123	60	96.69	92	214.45
77	13092	NINGAPUR	61.34	33	8	8.38	28	52.96
78	13093	DALPURWA	94.56	38	0	0.00	38	94.56
79	13094	RAMTALA	120.17	63	2	2.64	62	117.53
80	13095	BAILMUDA	48.51	35	7	6.52	32	41.99
81	13096	BHUWALPUR	7.70	5	1	2.30	4	5.40
82	13097	SODHA	251.68	97	15	16.33	91	235.35
83	13098	PENDRIKHURD	45.90	16	1	3.00	16	42.90
84	13099	KHALTUKARI	95.08	46	7	9.12	46	85.96
85	13100	SOMNAPUR	59.20	25	4	3.72	25	55.48

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 13		**PANDARIYA**						
86	13101	KISHUNGARH	77.80	29	2	7.30	28	70.50
87	13102	SIRMADABARI	60.32	29	0	0.00	29	60.32
88	13103	CHARBHATA KHURD	304.95	113	13	24.86	112	280.09
89	13104	BODHIPARA	11.45	6	0	0.00	6	11.45
90	13107	GIRDHARIKAPA	28.81	15	0	0.00	15	28.81
91	13110	KHUNTA	18.38	9	2	4.24	7	14.14
92	13111	SUKLI	3.00	2	0	0.00	2	3.00
93	13112	HATHMUDI	146.80	56	5	6.17	56	140.63
94	13113	KESHALMARA	42.54	14	3	9.81	14	32.73
95	13114	CHHITAPAR	44.32	22	8	10.67	17	33.65
96	13115	DABRI	1.79	2	0	0.00	2	1.79
97	13120	KODAPURI	17.71	8	0	0.00	8	17.71
98	13121	KHAIRJHITI	58.20	28	13	19.59	21	38.61
99	13122	NAWAGAON KHAGESH	20.05	5	4	10.47	3	9.58
100	13123	KARPIKALA	4.00	1	0	0.00	1	4.00
101	13125	PRANKAPA	6.55	2	1	3.88	1	2.67
102	13127	SURAJPURAKALA	94.02	47	2	2.75	45	91.27
103	13128	GHORPENDRI	37.72	14	0	0.00	14	37.72
104	13129	SONPURI	22.23	10	0	0.00	10	22.23
105	13130	DHUTPUR	30.17	9	2	3.24	7	26.93
106	13131	ALIPUR	0.74	1	1	0.74	0	0.00
107	13132	SINGARPUR	19.60	10	1	1.07	9	18.53
108	13133	MAINPURA	28.45	16	3	6.34	13	22.11
109	13134	MOTIMPUR	24.56	11	2	1.51	11	23.05
110	13135	SURAJPURAKHURD	20.81	12	0	0.00	12	20.81
111	13136	KHAMARIYA	27.19	13	0	0.00	13	27.19
112	13139	DEVSHARA	3.00	1	0	0.00	1	3.00
113	13141	KUI-KUKDUR	1.93	1	1	1.93	0	0.00
114	13144	LADANGPUR	65.32	19	10	16.48	15	48.84
115	13145	BIRKONA	28.80	14	11	19.66	4	9.14
116	13147	BINORI	46.00	17	12	15.36	12	30.64
117	13148	BIRAMPUR	13.10	5	3	5.50	2	7.60
118	13149	MUNMUNA	2.50	1	1	0.50	1	2.00
119	13150	PATUWA	11.64	5	0	0.00	5	11.64
120	13151	JAITPURI	13.62	9	0	0.00	9	13.62

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 13		**PANDARIYA**						
121	13153	BHAREWAPARA	13.00	5	0	0.00	5	13.00
122	13154	KANWALPUR	4.13	2	0	0.00	2	4.13
123	13156	KODWAKALA	24.50	12	0	0.00	12	24.50
124	13157	AMLIMALGI	73.42	43	0	0.00	43	73.42
125	13158	SEMARKONA	26.33	6	0	0.00	6	26.33
126	13159	MAUHAMADWA	26.13	7	1	0.56	7	25.57
127	13161	PRANKHAIRA	10.19	2	1	3.87	2	6.32
128	13162	KHARHATTA	26.23	13	6	5.14	12	21.09
129	13163	PIPARKHUTI	44.25	20	6	5.14	19	39.11
130	13164	TILAIBHATA	59.76	32	1	1.00	32	58.76
131	13166	MAJNUKANPA	82.97	34	15	30.95	28	52.02
132	13167	PADKIKALA	25.22	14	1	0.50	13	24.72
133	13168	JHIRIYAKALA	2.95	2	0	0.00	2	2.95
134	13169	JHIRIYAKHURD	14.54	10	0	0.00	10	14.54
135	13170	NEURGAON	47.27	12	2	7.73	11	39.54
136	13171	NAWAGAON MUSAU	14.02	7	0	0.00	7	14.02
137	13173	BANSAPUR	16.49	3	1	2.00	3	14.49
138	13174	GOBARRA	25.41	9	2	2.61	9	22.80
139	13178	REHUNTAKALA	9.29	8	0	0.00	8	9.29
140	13179	SANDI	132.80	38	4	8.70	38	124.10
141	13181	TATAKASA	1.37	1	0	0.00	1	1.37
142	13182	DULLIPAR	53.02	16	3	3.30	16	49.72
143	13187	ODADABRI	101.15	41	9	13.03	37	88.12
144	13190	MOTESARA	16.53	8	1	2.34	7	14.19
145	13192	PUTKIKHURD	4.27	3	0	0.00	3	4.27
146	13195	BHAGATPUR KHAIRJHITI	71.54	25	6	11.08	21	60.46
147	13197	BUCHIPARA	5.26	2	0	0.00	2	5.26
148	13203	SARUPARA	10.76	4	0	0.00	4	10.76
149	13207	NAWAGAON TIKET	1.61	1	0	0.00	1	1.61
150	13209	AMADAH	5.75	2	0	0.00	2	5.75
151	13210	GHUTARKUNDI	11.68	5	2	2.00	5	9.68
152	13211	RAHMAN KANPA	2.00	1	0	0.00	1	2.00
153	13212	GHOGHRA KALA	14.44	7	2	2.00	6	12.44
154	13213	DULLAPUR BAZAR	4.53	1	0	0.00	1	4.53
155	13214	BIJAITOLA	8.10	4	3	6.10	2	2.00

Sr. No.	Village Code	Village Name	Total Area	Total Farmers	Farmers (Plant)	Area (Plant)	Farmers (Ratoon)	Area (Ratoon)
Season : 20152016		**Circle : KAWARDHA**						
Block : 13		**PANDARIYA**						
156	13215	LIMHAIPUR	22.10	7	6	18.10	1	4.00
157	13216	KESHALI-GODAN	10.20	4	4	8.00	1	2.20
158	13217	PADRIPATHRA	6.00	5	4	5.00	1	1.00
159	13218	PADHI	17.00	7	2	3.50	6	13.50
160	13219	GANGPUR	9.00	7	1	1.00	6	8.00
		Block Total :	**15266.50**	**6417**	**1153**	**1744.35**	**5921**	**13522.15**
Block : 14		**S.LOHARA**						
1	14001	VIRENDRANAGAR	63.47	5	1	2.85	4	60.62
2	14014	RANVEERPUR	75.71	10	1	1.00	10	74.71
3	14015	KARESARA	21.43	5	3	10.43	2	11.00
4	14016	CHILAMKHODRA	11.48	3	3	6.00	3	5.48
5	14019	GANGIBAHARA	21.84	1	1	21.84	0	0.00
6	14025	CHANDENI	2.37	1	0	0.00	1	2.37
7	14026	BACHEDI	3.71	1	0	0.00	1	3.71
8	14043	KHAIRJHITI	6.87	3	3	4.87	1	2.00
9	14044	DANIGHATOLI	3.00	1	1	3.00	0	0.00
10	14046	SAMRIA	9.07	7	7	9.07	0	0.00
11	14061	ULAT	9.99	4	4	9.99	0	0.00
12	14062	SLOHARA	4.60	1	1	4.60	0	0.00
13	14068	BANDHI	11.88	5	5	11.88	0	0.00
14	14070	GENDPUR	2.00	1	1	2.00	0	0.00
15	14075	NAWAGAON-GULALPUR	2.00	1	0	0.00	1	2.00
16	14076	BUDHWARA	9.00	3	3	9.00	0	0.00
17	14077	BARODA-KALA	1.50	2	0	0.00	2	1.50
18	14078	ACHANAKPUR	5.00	2	1	4.00	1	1.00
19	14087	SALIHA	5.54	2	2	5.54	0	0.00
20	14088	GANGPUR	2.23	1	1	2.23	0	0.00
21	14089	PENDRIKHURD	3.00	4	4	3.00	0	0.00
22	14090	MAGARWAH	2.00	1	0	0.00	1	2.00
23	14091	RANJITPUR	4.00	2	1	2.00	1	2.00
24	14092	DUMARIA	10.00	1	0	0.00	1	10.00
		Block Total :	**291.69**	**67**	**43**	**113.30**	**29**	**178.39**
		Circle Total :	**41617.74**	**17548**	**4870**	**7422.15**	**15558**	**34195.59**
		Grand Total :	**41617.74**	**17548**	**4870**	**7422.15**	**15558**	**34195.59**

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th March 2016

No. 228/Confdl./2016/II-3-2/2002 (Part.-II).— The following Civil Judges Class-II, who were appointed on probation and who have completed their period of probation, are hereby issued a certificate of confirmation under sub-rule (5) of Rule 11 of Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006, viz, :—

1. Shri Mohd. Jahangir Tigala
2. Shri Brijesh Rai
3. Shri Subodh Mishra
4. Smt. Ravinder Kaur
5. Ku. Sakshee Dixit
6. Shri Sheelu Singh
7. Ku. Namita Anne Minj
8. Shri Sumit Kumar Harsyana
9. Shri Jeetendra Pradhan
10. Dr. Sumit Kumar Soni
11. Ku. Manisha Thakur
12. Shri Radhe Shyam Dhruw
13. Ku. Sarojani Parmar
14. Shri Shvam Kumar Sahu
15. Smt. Anita Dhruw
16. Ku. Rajeshwari Suryawanshi
17. Shri Vijendra Sonwani
18. Shri Girish Kumar Mandavi
19. Shri Anand Borkar
20. Ku. Pratibha Markam
21. Smt. Chandrakala Devi Sahu

Bilaspur, the 18th March 2016

No. 230/Confdl./2016/II-3-2/2002 (Part.-II).— The period of probation of the following Probationary Civil Judges of Lower Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, is hereby, extended :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of Appointment (3)
1.	Shri Bhupat Singh Sahu	16-12-2013
2.	Ms. Shubhda Goyal	02-01-2014
3.	Shri Mohit Singh	23-12-2013
4.	Shri Vyankatesh Singh	26-12-2013
5.	Shri Mahesh Babu Sahu	23-12-2013
6.	Shri Rosemin Rajesh Xaxa	03-01-2014
7.	Ku. Reshma Bairagi	23-12-2013
8.	Ku. Akanksha Bhardwaj	27-12-2013
9.	Shri Satish Kumar Khakha	20-12-2013
10.	Shri Nixion Daved Lakra	23-12-2013

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 21st March 2016

No. 31/L.G./2016/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, Additional Director-II, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 10 days from 01-03-2016 to 10-03-2016 along with permission to leave headquarters from 01-03-2016 till the morning of 11-03-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 100 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st March 2016

No. 32/L.G./2016/II-3-4/2010.—Smt. Rajni Dubey, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, is hereby, granted earned leave for 11 days from 22-02-2016 to 03-03-2016 along with permission to leave headquarters from the evening of 19-02-2016 to 03-03-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dube, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 83 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 21st March 2016

No. 33/L.G./2016/II-2-07/2009.—Shri Mahadev Katulkar, Judge, Family Court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 06 days from 29-02-2016 to 05-03-2016 along with permission to leave headquarters from 28-02-2016 to 07-03-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 286 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st March 2016

No. 34/L.G./2016/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 04 days from 08-03-2016 to 11-03-2016 along with permission to leave headquarters after 05.30 p.m. of 05-03-2016 till 13-03-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 252 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 21st March 2016

No. 35/L.G./2016/II-3-29/2012.—Smt. Sushma Sawant, Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 28 days from 27-01-2016 to 23-02-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sawant, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 282 days of half-pay leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).